



2026:AHC:20235

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3813, वर्ष 2025

हरि मोहन सिंह
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अनिल कुमार पाल, देवेन्द्र सिंह
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री लेखराज सिंह, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया।
2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-
 - i. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाए कि वह ग्राम-बेलसारा, तहसील-करछना, जिला-प्रयागराज में स्थित, 'चक मार्ग' के नाम पर दर्ज गाटा संख्या 592 पर हुए अतिक्रमण को हटाए।
 - ii. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाए कि वह सार्वजनिक उपयोग की भूमि (गाटा संख्या 592, जो ग्राम-बेलसारा, तहसील-करछना, जिला-प्रयागराज में स्थित 'चक मार्ग' के नाम पर दर्ज है) को होने वाले नुकसान या उसके दुरुपयोग से सुरक्षित रखे, और इस संबंध में 'उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006' की धारा 67 के अनुसार आगे की कार्यवाही करे।"
3. इस न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में, उप-जिलाधिकारी., करछना, प्रयागराज द्वारा दिनांक 29.1.2026 को भेजे गये निर्देश को अभिलेख पर लिया गया। इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को भी तामील करा दी गई।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. माननीय अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्राप्त निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत, भूखंड संख्या 592 (जो 'चक मार्ग' के रूप में दर्ज है) के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध वाद संख्या T202602030502503 के रूप में एक कार्यवाही दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त मामले के निस्तारण के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कदम उठाए जाएंगे।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत लंबित कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, करछना, प्रयागराज, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उपर्युक्त कार्यवाही का निर्णय, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार और शीघ्रता से करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

29 जनवरी 2026

सी. प्रकाश